

1. निदेशक भ्रमणशील
शल्य चिकित्सा ईकाई
जयपुर
2. समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-.....राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक
संबद्ध चिकित्सा समूह
राजस्थान
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान

परिपत्रादेश

विषय:- 01.09.06 के पश्चात राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान अनुज्ञान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है 01.09.06 के पश्चात राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाकर आदेशो मे वर्णित शर्तों के अध्याधीन 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 5 (2) के अनुसरण रनिंग पै बैण्ड 5200-20200 व 1900 ग्रेड पै 7100/- पर वेतन नियतन किया जावें।

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर।

क्रमांक :- ई-18/एम/(6011-यू)/10/ 1136

दिनांक : 15/7/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (जन स्वा०)/आरसीएच/एड्स, मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बैबसाईट 302 पर अपलोड करें।
5. समस्त कार्यालय अधीक्षक एवं प्रभारी अनुभाग।
6. परिपत्र पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर।